



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 537/आ.अनु./जोन-13

दिनांक : 03-07-2020

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मैसर्स रैल्प्रो बिल्डकॉन प्रा0लि0 द्वारा श्री पंकज रस्तौगी (डायरेक्टर), निवासी-ई-349, शास्त्री नगर, मेरठ के प्रार्थना पत्र दिनांक 05. 03.2020 के माध्यम से ग्राम-सलारपुर जलालपुर, मवाना रोड, मेरठ के खसरा संख्या-274मि0, 283/1, 321मि0, 322मि0, 323मि0, 324मि0, 327/3मि0, 329/3मि0, 329/4, 329/5, 329/6, 330मि0, 331मि0, 331/1, 332मि0, 333, 334, 336मि0, 340/1, 348/1, 349मि0, 350/1, 350/3 एवं 351/2 की कुल भूमि क्षेत्रफल 31290.00 वर्ग मी0 पर स्थित रैल्प्रो रेजीडेन्सी कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या-02/2013 (संशोधित) का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 18.03.2020 के आधार पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांक 20.06.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क (2) के अनुसार कालोनी के आंतरिक विकास कार्यों को पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1. जब तक कालोनी के विकास कार्यों को नगर निगम/आर.डब्ल्यू.ए. को हस्तांतरित नहीं किया जाता, तब तक विकासकर्ता को विकास कार्यों का रख-रखाव करना होगा।
2. पार्को तथा खुले स्थानों को विक्रय नहीं किया जायेगा।
3. नाली तथा सीवर की रेगुलर क्लीनिंग की जायेगी।
4. कूड़े का निस्तारण एम.एस.डब्ल्यू. रूल्स, 2016 के अनुरूप किया जायेगा।
5. विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी अनापत्तियों में उल्लेखित शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।
6. यदि प्राधिकरण की कोई देयता है, तो मांगे जाने पर जमा की जानी होगी।

संलग्नक:- पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति।

Handwritten signature and date: 3/7/2020

Handwritten signature
मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।